.न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 18/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. जानाराम पुत्र जीवाजी जाति घांची निवासी ग्राम बांकली तहसील सुमेरपुर		1. ग्राम पंचायत बांकली जरिये सरपंच बांकली तहसील सुमेरपुर 2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री लक्ष्मण के0 चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री मोहम्मद शरीफ़ काज़ी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 20-9-18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2016/2040 दिनांक 19.08.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बांकली के खसरा नम्बर 1071 रकबा 0.37 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1071/1460 रकबा 1.09 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि के लगते ही खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.70 हैक्टेयर की भूमि है, जिसके कुछ भाग पर मनीनाथजी का मन्दिर है तथा शेष भूमि पर अपीलाण्ट गत 30–35 वर्षों से काबिज काश्त है। इस स्थिति में एडवर्स पज़ेशन के आधार पर भी अपीलाण्ट उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका जांच किए एवं अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही ग्राम पंचायत बांकली के आवेदन एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर जैर अपील वादस्थ भूमि में से 0.24 हैक्टेयर भूमि कि किस्म खारिज़ करते हुए अनाज भण्डारण गोदाम बांकली हेतु ग्राम पंचायत बांकली के पक्ष में आरक्षित कर दी, जो विधि विरूद्ध है। आवंटन विधि विरूद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए किया गया है। आवंटन की चैक लिस्ट के समस्त बिन्दुओं की पूर्ति नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट भी मौका स्थिति के विपरित की गई है। इस सम्बन्ध में खातेदारी घोषणा हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर में वाद भी विचाराधीन है, किन्तु इन समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 1982 पेज 237, आर0आर0डी0 1982 पेज 441, आर0आर0डी0 1983 पेज 334, आर0आर0डी0 1982 पेज 305, आर0आर0डी0 1982 पेज 327 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट उक्त भूमि पर अपना मौखिक हक बता रहे है तथा भूमि की जो भौतिक स्थिति बताई है, वह मन्दिर के पास की बताई है, जबकि मन्दिर खसरा नम्बर 1063 में बना है एवं जैर अपील आवंटन खसरा नम्बर 1070 में किया गया है, जिनका आपस में कोई सरोकार नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट उक्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जा होना बताते है, जबकि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत जांच कर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज़ करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 613, आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 634 तथा आर0आर0टी0 2012 (1) पेज 286 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत बांकली द्वारा उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बांकली के खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.27 हैक्टेयर की भूमि खाद्यान्न भण्डारण हेतु आवंटन कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सुमेरपुर एवं पटवारी हल्का से मौका एवं रेकर्ड की जांच करवाई एवं रिपोर्ट आदि प्राप्त होने पर वांछित भूमि में से 0.24 हैक्टेयर भूमि राजस्थान भू राजस्व (संस्थाओं, स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालय, धर्मशाला तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय भूमि का आवंटन) नियम 1963 के तहत अनाज भण्डारण गोदाम बांकली हेतु ग्राम पंचातय बांकली को आवंटन किया गया। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है।

प्रकरण में यह विधिक प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या अपीलाण्ट को हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है ? इस सम्बन्ध में रेकर्ड के परीक्षण से यह प्रकट होता है कि जैर अपील वादस्थ भूमि वक्त आवंटन राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज थी, जिसका स्वामित्व राज्य सरकार का था तथा प्रकरण विशुद्ध रूप से सरकार एवं ग्राम पंचायत बांकली से सम्बन्धित था। जिसमें अपीलाण्ट पक्षकार नहीं था। इस सम्बन्ध में ए0आई0आर0 2003 (एस0सी0) पेज 1989 में यह प्रतिपादित किया कि "Aggrieved person – as a genral principle] a party will be said to be aggrieved of an order if that order would be res judicata against or if he is party to the proceedings in which the impugned order was made objection to locus standi of party not taken in first Appellate Court cannot be taken in second Appellate Corut. Person aggrieved has been given a wide connotation in AIR 1975 S.C. 2092 & AIR 1983 S.C. 75" अपीलाण्टन ने जैर अपील विवादित आराजी पर स्वयं का कब्जा होना जाहिर किया एवं इन तथ्यों के समर्थन में अपीलाण्ट द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अधिरोपित जुर्माना अदायगी की रसीदें, खसरा परिवर्तनशील की प्रति एवं न्यायालय सहायक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कलक्टर सुमेरपुर के समक्ष प्रस्तुत वाद की आदेशिका की प्रति प्रस्तुत की, जो जैर अपील विवादित आराजी से सम्बन्धित ही है। इससे यह प्रकट होता है कि प्रकरण में जैर अपील आदेश पारित किए जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि की भौतिक स्थिति एवं रेकर्ड आदि का समुचित परीक्षण नहीं किया गया है, हालांकि उक्त भूमि में अपीलाण्ट का हक हिस्सा निहित है अथवा नहीं ? इस प्रश्न का निर्धारण न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर के समक्ष विचाराधीन वाद में ही तय होगा, किन्तु जैर अपील विवादित आराजी को लेकर अपीलाण्ट की हितबद्धता से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस अनुसार जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जाना, अपीलाण्ट के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2016/2040 दिनांक 19.08.2016 को अपास्त किया जाकर इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमों के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली